भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5672
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तीकरण केंद्र

5672. **श्री बाबू सिंह कुशवाहा :**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सहित देश भर में "महिला सशक्तीकरण केन्द्र योजना" तथा "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) उक्त योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित महिलाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;
(ग) उक्त योजनाओं का महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं आर्थिक सशक्तीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(घ) क्या सरकार का उक्त योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई नई पहल करने अथवा कोई सुधार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार को किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01.04.2022 से उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में 'मिशन शक्ति' नामक अम्ब्रेला योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए कार्यकलापों को व्यापक बनाना है। 'मिशन शक्ति'

की दो उप-योजनाएं हैं: 'संबल' महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए और 'सामर्थ्य' महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए।

मिशन शक्ति की उप-योजना सामर्थ्य के अंतर्गत एक घटक "महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)" मिशन शक्ति योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण इकाई के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य कर रहा है। एचईडब्ल्यू केंद्र महिला केंद्रित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और विधानों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने के लिए जागरूकता गतिविधियों, शिविरों और अभियानों के आयोजन के माध्यम से व्यापक पहुंच और जागरूकता प्रसार में भी संलग्न हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.01.2017 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के माध्यम से देश भर में (ओडिशा और तेलंगाना को छोड़कर) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति लाभ के लिए अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्राप्त होता है ताकि एक महिला को औसतन 6000/- रुपए प्राप्त हों। दूसरे बच्चे के लिए पात्र लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई के तहत 6,000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो।

दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से व्यापक मिशन शक्ति योजना की शुरुआत के साथ, पहले बच्चे के लिए किस्तों की संख्या तीन (3) से घटाकर दो (2) कर दी गई है। इसके अलावा, पीएएमवीवाई के तहत, दूसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व लाभ दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो। योजना में संशोधन के परिणामस्वरूप, एक नया पोर्टल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाईसॉफ्ट) तैयार किया गया और मार्च, 2023 में लॉन्च किया गया। पीएमएमवीवाईसॉफ्ट के अंतर्गत, यूआईडीएआई के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण डिजिटल रूप से किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा सत्यापन डिजिटल रूप से सुनिश्चित किया जाता है ताकि धनराशि सीधे लाभार्थियों के केवल डीबीटी-सक्षम आधार-सीडेड बैंक या डाकघर खातों में अंतरित की जा सके। पीएमएमवीवाई के तहत पंजीकरण, कार्रवाई और दिन-प्रतिदिन की निगरानी संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, आवेदन की तत्काल स्थिति और स्थान दिखाने के लिए पीएमएमवीवाई पोर्टल पर एक 'ट्रैक एंड सर्च' सुविधा उपलब्ध है जिसकी सहायता से लाभार्थी अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति का पता लगा सकता है। इसके अलावा, किसी भी लाभार्थी द्वारा पीएमएमवीवाई से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक शिकायत निवारण मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला सशक्तीकरण हब (एचईडब्ल्यू) योजना के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें मातृत्व लाभ पर आयोजित किए जाने वाले जारूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसमें विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी)संबंधी विभिन्न कार्यकलाप जैसे प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, घर-घर प्रचार अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय पीएमएमवीवाई के तहत, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए समय-समय पर विशेष अभियान भी चला रहा है।

एचईडब्ल्यू के अंतर्गत महिला सशक्तीकरण के लिए 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें राज्यों को सप्ताहवार विषयगत गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर, जन संपर्क, लामबंदी अभियान और लिंग संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया।
इन पद्धतियों को अपनाकर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं, तथा महिला-नेतृत्व वाले विकास और विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएमवीवाई के तहत लाभार्थियों और एचईडब्ल्यू के तहत सहायता प्राप्त महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक

"महिला सशक्तिकरण केन्द्र" के संबंध में दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5672 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएमवीवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1291	856	1404
2	आंध्र प्रदेश	392312	150288	314404
3	अरुणाचल प्रदेश	4533	1399	4879
4	असम	179829	160354	279883
5	बिहार	731838	101686	802894
6	चंडीगढ़	5868	3038	4307
7	छत्तीसगढ़	160786	83540	389013
8	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	4199	2845	8610
9	दिल्ली	84713	42130	107770
10	गोवा	6648	1486	8743
11	गुजरात	254947	158132	477012
12	हरियाणा	154175	12624	149956
13	हिमाचल प्रदेश	44220	9315	57776
14	जम्मू और कश्मीर	56049	13012	141120
15	झारखंड	91961	64824	245991
16	कर्नाटक	597325	164345	729323
17	केरल	152962	76924	236039
18	लद्दाख	699	1400	2510
19	लक्षद्वीप	70	531	994
20	मध्य प्रदेश	570016	418306	1298493
21	महाराष्ट्र	691219	93891	538936
22	मणिपुर	6494	7685	19812
23	मेघालय	10330	3818	15449
24	मिजोरम	6817	2423	3772
25	नागालैंड	5532	2473	9274
26	पुदुचेरी	6368	243	12918
27	पंजाब	141304	83221	203913

28	राजस्थान	405991	186182	915462
29	सिक्किम	2845	898	3068
30	तमिलनाडु	135752	286823	537054
31	त्रिपुरा	21027	7690	42422
32	उत्तर प्रदेश	1424694	277011	303300
33	उत्तराखंड	67387	48451	117431
34	पश्चिम बंगाल	868049	0	0

टिप्पणी:

1. तेलंगाना सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को लागू नहीं कर रही है।
2. ओड़िशा सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है।

एचईडब्ल्यू के अंतर्गत सहायता प्राप्त महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त महिलाओं की संख्या		
		2022-23	2023-24	2024-25 (30.03.2025 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	333	354	1235
2	आंध्र प्रदेश	0	0	5740
3	अरुणाचल प्रदेश	11501	15306	38533
4	असम	1313	3984	6842
5	बिहार	0	583	1556
6	चंडीगढ़	3600	5000	6000
7	छत्तीसगढ़	18	93	138
8	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	0	2863	7031
9	दिल्ली	94558	92292	55950
10	गोवा	0	0	958
11	गुजरात	0	267415	215110
12	हरियाणा	0	0	185594
13	हिमाचल प्रदेश	0	682	1417
14	जम्मू और कश्मीर	17110	24574	28413
15	झारखंड	0	40	10937
16	कर्नाटक	0	18600	35550
17	केरल	0	88581	169026
18	लद्दाख	0	160	799
19	लक्षद्वीप	0	2300	11200
20	मध्य प्रदेश	0	2608	4317
21	महाराष्ट्र	4949	9970	7114
22	मणिपुर	0	0	493
23	मेघालय	0	49	1027
24	मिजोरम	614	728	1989
25	नागालैंड	0	3936	7176
26	ओड़िशा	0	0	0
27	पुदुचेरी	0	6379	26685

28	पंजाब	0	120276	152076
29	राजस्थान	0	97109	168353
30	सिक्किम	0	0	87
31	तमिलनाडु	0	81257	252382
32	तेलंगाना	0	611	1086
33	त्रिपुरा	0	11	102
34	उत्तर प्रदेश	31375	30619	29824
35	उत्तराखंड	26025	21887	31840

टिप्पणी:

1. पश्चिम बंगाल राज्य अपने राज्य में एचईडब्ल्यू योजना लागू नहीं कर रहा है।
2. ओड़िशा राज्य ने हाल ही में इसे शुरू किया है।

*****